प्रेस–विज्ञप्ति

कन्या सुमंगला योजना हेतु आवेदन

शासनादेश सं0–436 / 60–3–2019–6(सा0)–19टीसी दिनाँक 07 मार्च, 2019 के द्वारा **"कन्या सुमंगला योजना"** (दिनाँक 01 अप्रैल, 2019 से लागू) के अन्तर्गत आवेदन पत्र हेतु लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् निर्धारित है। **पात्रताः–** 1. वार्षिक आय 3 लाख तक, 2. एक परिवार की अधिकतम 02 बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। 3. किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुडवां बच्चे होने पर तीसरी सन्तान के रुप में लडकी को भी लाभ अनुमन्य होगा। 4. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

आवेदन की श्रेणी

क्रसं	श्रेणी का प्रकार	धनराशि	आवश्यक दस्तावेज
1	बालिका के जन्म होने पर (दिनाँक 01–04–2019 से)	2000.00	जन्म प्रमाण
2	बलिका के 01 वर्ष तक के पूर्ण टीकारण के उपरान्त (इस सत्र से)	1000.00	टीकाकरण से सम्बन्धित प्रमाण
3	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त (इस सत्र से)	2000.00	कक्षा 01 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण
4	क्षा 06 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त(इस सत्र से)	2000.00	कक्षा 06 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण
5	कक्षा 09 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त (इस सत्र से)	3000.00	कक्षा 09 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण
6	बालिका द्वारा 12वी कक्षा उत्रीर्ण करने के उपरान्त स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर (इस सत्र से)	5000.00	स्नातक य डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण

उपरोक्त 06 श्रेणियों के लाभार्थी उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय उप जिलाधिकारी, कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, तहसील, नगर पालिका / परिसर, विभागीय बेबसाईट कन्या सुमंगला पोर्टल से एवं जिला स्तर पर जिला प्रोबेशन कार्यालय बरेली से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। या http://bareilly.nic.in बेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है। **अधिक जानकारी के लिये जिला प्रोबेशन अधिकारी कमरा नं0–20 कलेक्ट्रेट बरेली से सम्पर्क करें।**

जिला प्रोबेशन अधिकारी
बरेली।

जिलाधिकारी
बरेली।

C-3184

कार्यालयः जिलाधिकारी बरेली।

पत्राँकः / प्रोबे0 / क0सु0यो0 / 2019–20 दिनाँक 07 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बरेली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त योजनान्तर्गत विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र http://bareilly.nic.in अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. उप निदेशक, सूचना बरेली को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति 02 प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त उप जिलाधिकारी / समस्त खण्ड विकास अधिकारी, / समस्त तहसीलदार बरेली को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों की हार्ड कापी जिला प्रोबेशन अधिकारी बरेली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों की जाँच कराकर जिला प्रोबेशन अधिकारी बरेली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बरेली।